निग — 2668 — II-16

115

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी कमाक /2016 जबलपुर

श्री ... द्वारा आज दि. 8-8-16 को प्रस्तुत

मुन्नालाल पुत्र फूलचन्द जाति आदिवासी जनजाति सेहरिया निवासी ग्रम पिपरईगांव , तहसील मुगावली जिला अशोकनगर म.प्र. ।

..आवेदक

चविरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला अशोकनगर
2. सुरेश कुमार पुत्र मिश्रीलाल जाति जैन (वैश्य) निवासी वार्ड क0 2 महात्माबाडे के पीछे , नगरपालिका अशोकनगर जिला अशोकनगर म.प्र.

..........अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर अशोकनगर द्वारा प्रकरण क 05/अ–21/2015–2016 मे पारित आदेश दिनांक 1.07.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू – राज्य संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन निगरानी

माननीय महोदय ,

सेवा मे आवेदक की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एंव विधि के उपवन्धो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2668–दो/16 जिला –अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
9.9.16	यह निगगरानी कलेक्टर अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 5/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 1.7.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया एवं उनकी ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक मुन्नालाल पुत्र श्री फूलचंद आदिवासी द्वारा अधीनस्थ के समक्ष प्रस्तुत भूमि विकय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम आवंरी मांफी तहसील व जिला अशोकनगर में स्थित भूमि सर्वे कमांक 28/2 रकवा 0.836 है0, सर्वे न0 28/3 मिन रकवा 0.418 है0 सर्वे न0 79/5 मिन–2 रकवा 0.418 है0 सर्वे न0 216/2 रकवा 5.299 है0 मे से 1.680 है0 तथा सर्वे न0 217/1 मिन–1 रकवा 4.912 है0 मे से रकवा 0.314 है0 कुल किता 5 जुमला रकवा 3.666 है0 को अनावेदक सुरेश कुमार पुत्र श्री	

मिश्रीलाल जाति जैन को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।

3– कलेक्टर द्वारा तहसील को जांच हेतु भेजा गया तहसीलदार अशोकनगर द्वारा मय जांच पंचनामा प्रतिवेदन सहित विधिवत जांच कर प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया कि उक्त भूमि आवेदक के निजी स्वामित्व की भूमि है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर को प्रकरण का निराकरण गुण दोषों पर करना चाहिये था उनके द्वारा ऐसा न करते हुये प्रकरण को पेन्डिग वना दिया पुनः तहसीलदार की ओर प्रकरण को वापिस करने के आदेश पारित कर दिये जो न्यायोचित नहीं है जबकि तहसीलदार द्वारा विधिवत मय पंचनामा सहित अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। जो संलग्न हैं उसके वावजूद भी आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान न की जाकर पेन्डिग कर दिया गया। दर्शित परिस्थिति में इस न्यायालय द्वारा ही उनके द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत आवेदन का निराकरण गुण दोष पर करते हुये उन्हें आवेदति भूमि विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिये थी :–

(1) आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मार्या विरूद्ध म0प्र0 राज्य एक अन्य 2013 रा0नि0 80 माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत है कि–

(1) भू–राजस्व संहिता 1959 म0प्र0– धारा 165 (7–ख) तथा 158 (3) का लागू होना–उपबंधो के अंतःस्थापन से पूर्व पट्टा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये–बिना अनुमति के भूमि का अंतरण उपबंधो को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया

गया- उपबंध आकर्षित नहीं होते-भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।

(2) विधि का निर्वचन -का सिद्धांत-नवीन उपबंध का अंतःस्थापन -भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया-ऐसे उपबंध की भूतलक्षी प्रभावी होने की उपधारणा नहीं की जा सकती।

(2) दयाली तथा एक अन्य विरूद्ध महिला श्याम बाई 2004 रा0नि0 183 में व्यवसी की गई हे कि भू-राजस्व संहिता 1959 म0प्र0 -धारा 165(7-ख) सरकारी पटट्ेदार द्वारा आबंटन के 10 वर्ष पश्चात भूमिस्वामी अधिकार अर्जित किये -भूमि का विकय कर सकता है-कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक नहीं है।

4- उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 05/अ-21/15-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 1.7.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं निगरानी स्वीकार की जागर आवेदक को ग्राम आवंरी माफी तहसील व जिला अशोकनगर में स्थित भूमि सर्वे कमांक में स्थित भूमि सर्वे कमांक 28/2 रकवा 0.836 है0, सर्वे न0 28/3 मिन रकवा 0.418 है0 सर्वे न0 79/5 मिन-2 रकवा 0.418 है0 सर्वे न0 216/2 रकवा 5.299 है0 मे से 1.680 है0 तथा सर्वे न0 217/1 मिन-1 रकवा 4.912 है0 मे से रकवा 0.314 है0 कुल किता 5 जुमला रकवा 3.666 है0 के विकय की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती हैः-

1- भूमि का कय विकय के दस्तावेज का पंजीयन इस आदेश के तीन माह की अवधि के भीतर करना अनिवार्य है।

2- भूमि का कय -विकय पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाईड लाईन के मान से किया जावेगा।

3- केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) अपीलार्थी के खाते में जमा की जावेगी।

सदस्य